

1965

संख्या-1317/सत्तर-2-2011-2(166)/2002टीसी

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ कुलपति/कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 15 अप्रैल, 2011

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नये महाविद्यालयों की स्थापना/पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रमों/विषयों की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पारदर्शिता लाये जाने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विवरणों का प्रदर्शित किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नये महाविद्यालयों की स्थापना/पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रमों/विषयों में शासन द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति में पारदर्शिता लाये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शैक्षिक सत्र 2011-12 से महाविद्यालयों की भूमि, भवन, शिक्षक आदि के विवरण निम्न प्रारूप में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रारूप

1. महाविद्यालय के सम्बन्ध में विवरण:-

(क) महाविद्यालय का नाम।

(ख) महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों का विवरण तथा उनके स्थायी/अस्थायी सम्बद्धता की स्थिति।

(ग) नये याचित पाठ्यक्रम/विषय का नाम।

संचालक सोसायटी/ट्रस्ट का नाम तथा उसकी वैधता तिथि:-

3. महाविद्यालय के नाम उपलब्ध भूमि का विवरण:-

खातेदार का नाम	खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	ग्राम	तहसील/जिला
----------------	-------------	-------------	-----------	-------	------------

4. भवन का विवरण (याचित पाठ्यक्रम के अनुसार):-

5. अनुमोदित/कार्यरत शिक्षक का विवरण (याचित पाठ्यक्रम के अनुसार):-

6. प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की स्थिति:-

7. याचित पाठ्यक्रम में शासन द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति का शासनादेश संख्या एवं दिनांक, तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश तिथि सहित।



8. सम्बद्धता प्रस्ताव को निरस्त/लम्बित रखने के कारण:-

(2) अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार सूचना को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का कष्ट करें। कृपया उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

संख्या-1317(1)/सत्तर-2-2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. उच्च शिक्षा अनुभाग-6
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

पत्रांक -कु0स0-सम्बद्धता/1330/वेबसाइट प्रदर्शन/2011 दिनांक- 04 मई, 2011
प्रतिलिपि-

1. माननीय कुलपति जी - सूचनार्थ।
2. प्राचार्य/प्रबंधक, समस्त महाविद्यालय, सम्बद्ध- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय के साथ कि शासन की मंशा के अनुरूप सम्बद्धता प्रस्ताव के साथ प्रारूप पर भी सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा सके।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय के साथ कि पत्र को सूचनार्थ वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।


14.05.11
(आई0 पी0 झा)
कुलसचिव



प्रारूप

1. महाविद्यालय के सम्बन्ध में विवरण:—

(क) महाविद्यालय का नाम।

(ख) महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों का विवरण तथा उनके स्थायी/अस्थायी सम्बद्धता की स्थिति।

(ग) नये याचित पाठ्यक्रम/विषय का नाम।

2. संचालक सोसायटी/ट्रस्ट का नाम तथा उसकी वैधता तिथि:—

3. महाविद्यालय के नाम उपलब्ध भूमि का विवरण:—

खातेदार का नाम	खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	ग्राम	तहसील/जिला

4. भवन का विवरण (याचित पाठ्यक्रम के अनुसार):—

5. अनुमोदित/कार्यरत शिक्षक का विवरण (याचित पाठ्यक्रम के अनुसार):—

6. प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की स्थिति:—

7. याचित पाठ्यक्रम में शासन द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति का शासनादेश संख्या एवं दिनांक, तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश तिथि सहित।

8. सम्बद्धता प्रस्ताव को निरस्त/लम्बित रखने के कारण:—

प्राचार्य/प्रबन्धक

हस्ताक्षर